जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक – जविप्रा / अ.आ. / एल.पी.सी. / 10 / डी– 140 दिनांक– 2-2-10

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की 62 वी बैठक दिनांक 22.01.10 को दोपहर 12.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें भाग लेने वाले अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय पारित किये गये :–

क्र. सं	जो. नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		62:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 61वीं बैठक दिनांक 24.12.09 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन एवं 52वीं से 61वीं बैठकों में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की समीक्षा	**I. 61वीं बैठक दिनांक 24.12.09:–** प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 61वीं बैठक दिनांक 24.12.09 के कार्यवाही विवरण में प्रस्ताव संख्या 61:5 व 61:6 के निर्णय में वर्णित **"जोन की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर की दूगुनी दर पर"** को विलोपित करने का निर्णय लिया जाकर अनुमोदन किया गया। **II. 52वीं बैठक दिनांक 1.6.09:–** प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 52वीं बैठक दिनांक 1.6.09 में लिये गये निर्णयों की शेष अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा करते समय निम्नांकित निर्णय लिये गये :– i. प्रस्ताव संख्या 52:6 के संदर्भ में उपायुक्त जोन 12 ने बताया कि बढे हुये क्षेत्रफल को आरक्षित दर की दुगुनी कीमत पर लेने के संबंध में सहमति प्रदान करने हेतु आवटियों को पत्र जारी कर दिया गया है। किन्तु सहमति अथवा असहमति प्राप्त नहीं हुई है। राज्य सरकार को प्रकरण वास्ते स्वीकृति भिजवाया गया है। ii. प्रस्ताव संख्या 52:7(2) के संबन्ध में सूचना आयोग कार्यालय भवन हेतु प्रस्ताव की अनुपालना के क्रम में जोन उपायुक्त–1 ने अवगत कराया कि संस्थानिक क्षेत्र में एक भूखण्ड के विवाद का निस्तारण हुआ है जिसमें से आवंटन किये जाने पर विचार किया जा सकता है। उपायुक्त ने बताया कि जो भूखन्ड निस्तारित हुआ था उस पर कोर्ट ने दिनांक 23.07.09 को स्थगन दे दिया है। उपायुक्त को निर्देशित किया गया कि वे प्राथमिकता से स्टे वेकेट कराने की कार्यवाही करे। **III. 59वीं बैठक दिनांक 09.11.09:–** प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 59वीं बैठक दिनांक 09.11.09 में लिये गये निर्णयों की शेष अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा करते समय निम्नांकित निर्णय लिये गये :– i. प्रस्ताव संख्या 59:4 जविप्रा की पालडी मीणा योजना में बढे हुए क्षेत्रफल के आवंटन के संबंध मे उक्त क्षेत्र नया जयपुर से प्रभावित होने के कारण

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपायुक्त द्वारा राज्य सरकार से मार्ग दर्शन चाहा गया है। प्राप्त होने पर पालना रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की जावे।

ii. प्रस्ताव सख्या 59:8 के संबंध मे रामनगरिया विस्तार योजना मे आरक्षित कार्नर भूखण्डों को आवंटन की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाया गया है। उपायुक्त जोन 9 को निर्देशित किया गया कि वे प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करा समिति को अवगत करावें।

IV. 60वीं बैठक दिनांक 03.12.09:–

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 60वी बैठक दिनांक 03.12.09 में लिये गये निर्णयों की समस्त अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के कारण ड्रोप करने का निर्णय लिया गया।

IV. 61वीं बैठक दिनांक 24.12.09:–

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 61वीं बैठक दिनांक 24.12.09 में लिये गये निर्णयों की शेष अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा करते समय निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

i. प्रस्ताव सख्या 61:2 विधाधर नगर डाकघर को आवंटित भूखण्ड के सबंध में उपायुक्त जोन–2 से पालना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। पालना रिपोर्ट एक सप्ताह मे भिजवाने के निर्देश दिये गये।

ii. प्रस्ताव संख्या 61:3 राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय रामपुरा सेवापुरा के संबंध में निदेशक (अभियांत्रिकी) को शीघ्र पीटी सर्वे करवाकर निस्तारण के निर्देश दिये गये।

iii. प्रस्ताव संख्या 61:4 जयपुर विधुत वितरण निगम लि0 को 33/11 केवी सब स्टेशन के निर्माण हेतु महल योजना में भूमि आवंटन के संबंध में उपायुक्त जोन–9 को जे.वी.वी.एन.एल. के अधिकारियों से सम्पर्क कर प्रकरण का निस्तारण शीघ्र करने के निर्देश दिये गये।

iv. प्रस्ताव संख्या 61:5 व 61:6 क्रमशः भूखण्ड सख्या सी–156 व सी–154 के विनिमय के संबंध में उपायुक्त जोन–12 द्वारा प्रस्तुत सशोधन प्रस्ताव स्वीकार करने का निर्णय लिया गया।

v. प्रस्ताव संख्या 61:7, 61:8, 61:11(2), 61:11(4) की पालना हो जाने के कारण प्रकरण ड्रोप करने का निर्णय लिया गया।

vi. प्रस्ताव संख्या 61:9 राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय तीतरिया के संबंध में संस्था को सूचित किया जावे कि उन्हे मापदण्डानुसार 3 एकड़ भूमि पूर्व मे आवंटित की जा चुकी है। अतः अब आवंटन का औचित्य नही है।

vii. प्रस्ताव संख्या 61:10 नारी चेतना समिति को वृद्धाश्रम हेतु भूमि आवंटन के संबंध में समिति की सचिव को सूचित किया जावे कि रामनगरिया व बिन्दायका में भूमि उपलब्ध कराई जा सकती है। अतः मौका निरीक्षण कर अपनी सहमति प्रदान करें।

प्रति० उपायुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				viii. प्रस्ताव संख्या 61:11 विकलांग व्यवसाय पुनर्वास केन्द्र जयपुर को ग्राम कानोता तहसील बस्सी के खसरा नं. 624 में से भूमि आवंटन के संबंध में राज्य सरकार के पत्र दिनांक 04.01.10 के परिपेक्ष्य में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि यह आवंटन राजकीय संस्था को किया गया है, जो इस पत्र के अन्तर्गत कवर होता है। उपायुक्त ने बताया कि खसरा नं. 624 ग्राम कानोता की प्लानिंग होकर नक्शा रिलीज हो चुका है। भूखण्ड सं. 2 जिसका क्षेत्रफल 3103 वर्गमीटर है, पूरा ही आवंटन किया जाना युक्तियुक्त होगा। अतः समिति ने निर्णय लिया कि विकलांग व्यवसाय पुर्नवास केन्द्र जयपुर को गत बैठक में आवंटित 4000 वर्गगज भूमि के स्थान पर 3103 वर्गमीटर भूमि आवंटन की कार्यवाही की जावे। राज्य सरकार के परिपत्र प.-3(55)नविवि/3 /2002 दिनांक 14.02.05 के अनुसरण में 1000 वर्गगज भूमि निःशुल्क एवं शेष भूमि आवासीय आरक्षित दर 2800 रू. प्रति वर्गमीटर की 25 प्रतिशत दर से राशि वसूल की जावे। ix. प्रस्ताव संख्या 61:11(1) नेशनल सोसायटी फॉर इंजिनियरिंग रिसर्च एण्ड डवलपमेन्ट जयपुर को साईस टेक सिटी अचरोल में 30 एकड भूमि निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु आवंटन करने की अभिशंषा उक्त क्षेत्र की आरक्षित दर तय करने के पश्चात राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाई जावे। x. प्रस्ताव संख्या 61:11(3) इस्टीट्यूट ऑफ इंजिनियरिंग एण्ड मेनेजमेन्ट ट्रस्ट कलकत्ता के सबंध में निर्णय लिया गया कि साईस टेक सिटी अचरोल में 30 एकड भूमि निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु आवंटन करने की अभिशंषा उक्त क्षेत्र की आरक्षित दर तय करने के पश्चात् राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाई जावे। xi. प्रस्ताव संख्या 61:11(5) ट्रांसपोर्ट नगर सीकर रोड योजना के संबंध मे निर्णय लिया गया कि ट्रांसपोर्ट नगर सीकर रोड योजना का मानचित्र पी.डब्ल्यू.सी. की बैठक दिनांक 31.12.09 में अनुमोदित हो चुका है, उसके अनुसार कार्यवाही की जावे। xii. प्रस्ताव संख्या 61:11(6) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एन.आई.आर.डी.) के संबंध मे राज्य सरकार को पुनः निवेदन किया जावे।
2.	12	62:2	भूखण्ड सं. सी-149 आनंद लोक योजना क्षेत्रफल 120.00 व.मी. का क्षेत्रफल बढकर 178.12 वर्गमीटर हो जाने के कारण अन्य भूखण्ड विनिमय मे दिये जाने बाबत।	प्रस्तावानुसार भूखण्ड संख्या सी-149 के स्थान पर भूखण्ड संख्या सी-185 क्षेत्रफल 120 वर्गमीटर विनिमय करने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई ।

(एल.पी.सी.)
प्रति० सदस्य सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
3. जिला कलक्टर, जयपुर
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
5. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
8. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
9. निदेशक(वित्त/अभि./आयोजना), जविप्रा, जयपुर
10. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि), जविप्रा, जयपुर
11. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
12. उपायुक्त जोन- 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
13. जन सम्पर्क विशेषाधिकारी, जविप्रा, जयपुर
14. रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव (बी.पी.)

एवं

अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 62वी बैठक दिनांक 22.01.10 में उपस्थित अधिकारियों की सूची:–

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री सुधांश पंत, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्रीमति गायत्री राठौड, सचिव	सदस्य
3.	श्री भास्कर शर्मा निदेशक (वित्त)	सदस्य
4.	श्री ओ.पी. दोराया निदेशक (अभियांत्रिकी)	सदस्य
5.	श्री शफी मोहम्मद कुरेशी, अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व एवं एलपीसी)	सदस्य सचिव
6.	श्री जाकिर हुसेन, अतिरिक्त निदेशक (राजस्व सम्पत्ति निस्तारण)	विशेष आमंत्रित
7.	श्री पुरूषोत्तम शर्मा उपायुक्त जोन–12	विशेष आमंत्रित
8.	श्री पी0सी0 शर्मा उपायुक्त जोन–13	विशेष आमंत्रित